महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

संख्या-128/2024/ 202/71-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई, इटावा।
2. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0एम0 एस0, लखनऊ/जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा/एस0एस0पी0एच0 एण्ड पी0जी0टी0आई0 नोएडा।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
4. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियिलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2024**

विषयः-राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद-14, समानता के अधिकार एंव भेदभाव मुक्त वातावरण की गारण्टी देता है। वहीं अनुच्छेद-21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। उ0प्र0 शासन, प्रत्येक नागरिक के विधिक समानता तथा उनकी गरिमा एंव सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है। उ0प्र0 शासन की अपराध तथा अपराधियों के प्रति "ZERO TOLERANCE" नीति के दृष्टिगत विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रति हिंसा रोकने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनके लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम-2013 तथा भारतीय न्याय सहिंता की प्रासंगिक धाराओं का दंडात्मक/जुर्माना संबंधी विवरण सहित अस्पताल परिसर के अंदर प्रमुख स्थानों पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रदर्शन (display) करना।

(2) 'अस्पताल सुरक्षा समिति' और 'हिंसा रोकथाम समिति' का गठन किया जाय, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हों, ताकि उचित सुरक्षा उपायों की रणनीति बनाई जा सके और उन्हें लागू किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) आम जनता और मरीज के तीमारदारों/रिश्तेदारों (Attendants/Relatives) के लिए अस्पताल के प्रमुख क्षेत्रों (key Areas) में प्रवेश को विनियमित करना।

(4) मरीज के तीमारदारों/रिश्तेदारों (Attendants/Relatives) के लिए सख्त आगंतुक पास नीति।

(5) विभिन्न ब्लॉकों एवं छात्रावास भवनों तथा अस्पताल के अन्य क्षेत्रों में रात्रि ड्यूटी के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों/नर्सों/अन्य चिकित्सा कार्मिकों के सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रावधान करना।

(6) आवासीय ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक तथा अस्पताल परिसर के अन्य सभी क्षेत्रों में प्रकाश की उचित व्यवस्था (proper lighting) सुनिश्चित करना।

(7) रात्रि के समय सभी अस्पताल परिसरों में 'नियमित सुरक्षा गश्त' सुनिश्चित करना।

(8) अस्पतालों के सभी प्रवेश व निकास बिंदुओं, रोगी कमरों तक जाने वाले गलियारों तथा परिसर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और 24/7 मानवयुक्त सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।

(9) अस्पताल परिसर के अंदर सभी सीसीटीवी कैमरों (संख्या और कार्यक्षमता) की स्थिति का जायजा लेना और उसके आवश्यक कार्यान्वयन/उन्नयन के लिए आगे बढ़ना।

(10) निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ घनिष्ठ संपर्क (close liasioning) स्थापित करना तथा हेल्पलाइन नम्बर-112 का उपयोग करना।

(11) चिकित्सा संस्थाओं में आने वाले लोगों की संख्या, बेड्स की संख्या व सुविधाओं के अनुरूप परिसर में पुलिस चौकियाँ स्थापित करने की संभावना।

(12) कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अंतर्गत शिकायतों के समाधान के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन करना।

(13) किसी स्वास्थ्यकर्मी के प्रति हिंसक घटना होने पर पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी से शिकायत प्राप्त होने के अपेक्षा न करते हुए संस्था द्वारा स्वयं की ओर से निकटस्थ पुलिस स्टेशन में एफ0आई0आर0 किया जाय तथा पुलिस के साथ तालमेल स्थापित करते हुए त्वरित कार्यवाही की जाय।

(14) चिकित्सा संस्था में आउटसोर्सिंग/संविदा पर कार्यरत प्रत्येक कार्मिक का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरीफिकेशन/स्क्रीनिंग किया जाए।

(15) यथा सम्भव उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से कैम्पस में सुरक्षा गार्ड रखे जाय।

(16) शोक एवं संकटग्रस्त (grief and crisis) मरीजों/तीमारदारों/रिश्तेदारों से निपटने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और सहायकों सहित चिकित्सा संस्था के सभी कर्मचारियों हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(17) अस्थिरता (volatility) और हिंसा (violence) के जोखिम के आधार पर अस्पताल के भीतर विभागों और स्थानों को वर्गीकृत करना। इमरजेंसी रूम एवं आई0सी0यू0 जैसे क्षेत्रों में हिंसा की संभावना अधिक होती है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए संभवतः अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

(18) अस्पताल के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सामान और व्यक्तियों की जाँच प्रणाली सुनिश्चित करना, ताकि चिकित्सा प्रतिष्ठान के अंदर कोई हथियार न ले जाए।

(19) नशे में धुत व्यक्तियों को चिकित्सा प्रतिष्ठान के परिसर में प्रवेश करने से रोकना, जब तक कि वे रोगी (patients) न हों।

(20) भीड़ और शोक संतप्त व्यक्तियों (crowds and grieving persons) को संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित करने के लिए कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

(21) महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनके लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए रिट (क्रिमीनल) संख्या-2/2024 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 के क्रम में नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही करना।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/3/4, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in